FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0021 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 13/05/2023 07:48 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
10	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Error: Subreport could not be shown.

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/05/2023 **Time (समय):** 05:20 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/05/2023 07:14 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

Error: Subreport could not be shown.

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Jai Chand

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/03/1966 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**Udhina, SADAR NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**Udhina, SADAR NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9466357877

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुश्री अनु कौशिश स0 रजिस्ट्रार		Father's Name: सुभाष चन्द	1. 313-,मोती नगर जिला करनाल, KARNAL,HARYANA,INDIA 2. तत्कालीन महाप्रबन्धक ICDP RWR,REWARI,HARYANA,INDIA
2	स्तालियन जीत निदेशक कम्पनी		Father's Name: हरबेल सिंह	1. शर्मा गार्डन जिला यमुनानगर,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA 2. Bantam India Limited,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA 3. Banbridge Constructions Pvt L,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
3	सुमित अग्रवाल ACTT ICDP रेवाडी		Father's Name: श्री बजरंग लाल	1. 32,फ्रैंडस कॉलोनी,नजदीक यादव धर्मशाला नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
4	नताशा कौशिश			1. 313-16,मोती नगर जिला करनाल, KARNAL,HARYANA,INDIA
5	गुन्जन कौशिश			1. 313-16,मोती नगर जिला करनाल, KARNAL,HARYANA,INDIA
6	श्रीमति रेखा			1. 313-16,मोती नगर जिला करनाल, KARNAL,HARYANA,INDIA
7	अन्य कर्मचारीअधिकारी व व्यक्ति			1. ICDP रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम । विषय:- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 23.11.2022 रेवाडी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 65/13/2022-5 चौकसी-1 दिनांक 17.11.2022 की पालना मे महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय मे दर्ज रजिस्टर की जाकर कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 18504/आई-2/एस0वी0बी0 (ह0) दिनांक 23.11.2022 के अनुसार आसूचना रिपोर्ट के आधार पर सुश्री अनु कौशिश सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पानीपत तत्कालीन महाप्रबन्धक ICDP रेवाडी व अन्य के विरूद्ध दर्ज हुई थी ।

जांच में आरोप थे कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (N.C.D.C) द्वारा एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम (ICDP) के तहत जिला रेवाडी में प्राथामिक कृषि सहकारी समिति के विकास के लिए केन्द्र सरकार से बजट आवंटन किया गया था जो बजट हरियाणा सरकार द्वारा ICDP रेवाडी के बैंक खाता में भेजा गया था जिसको सुश्री अनु कौशिश सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पानीपत तत्कालीन महाप्रबन्धक ICDP रेवाडी व अन्य द्वारा इस बजट को निम्नलिखित कार्यो में नियमों के विरूद्ध प्रयोग किया गया तथा कुछ कार्यो में सरकारी राशी का गबन भी करना दर्शाया हुआ है ।

ICDP के अधिकारी/कर्मचारियो का प्रशिक्षण सरकार द्वारा निर्धारित संस्थान क्षेत्रिय प्रशिक्षण केन्द्र लक्ष्मण राव ईनामदार राष्ट्रीय अकादमी सहकारिता अनुसंधान एंव विकास गुरूग्राम से कराना था लेकिन सुश्री अनु कौशिश महाप्रबन्धक द्वारा नियमो की अनदेखी करके एक प्राईवेट कम्पनी मैसर्ज बैन्टम इण्डिया लिमिटेड से प्रशिक्षण का अनुबन्ध करके 37,15,580/- रूपये जारी करके निजी आर्थिक लाभ लेते हुये सरकार को वितीय हानि पहुंचाई है ।

ICDP के तहत सहकारी हाउसिंग समितियो व सहकारी PACS (Primary Agriculture cooperative Society) के भवनो पर हरियाणा सरकार के निर्देशो के अनुसार हरेडा से पंजीकृत फर्मो के माध्यम से सोलर पैनल लगाये जाने थे । जबकि सुश्री अनु कौशिश महाप्रबन्धक ने अपने अधीन कर्मचारियो/अधिकारियो से मिली भगत करके नियमो की अनदेखी करते हुये स्थानीय फर्मो से शिवम सहकारी ग्रुप हाउसिंग समिति लि0 बावल, अन्य ग्रुप हाउसिंग समितियो व विभिन्न PACS के भवनो पर सोलर पैनल सिस्टम लगाने के लिए 30 लाख रूपये जारी किये है जो कि मौके पर नाम-मात्र लगे एवं फर्जी बिल लगाकर ICDP के रूपयो का दुरूपयोग किया तथा सरकार को वितीय हानि पहुचाई है ।

ICDP के तहत विभिन्न PACS के लिये कम्पयूटर की खरीद सरकार के नियमो अनुसार GEM पोर्टल से की जानी थी जबकि महाप्रबन्धक ICDP ने सरकारी नियमो की अवहेलना करते हुए स्थानीय डीलरो से 41,20,000/- रूपये के कम्पयूटर जरूरत ना होते हुये भी खरीद करके कमीशन खाया । ICDP के नियमो में लैपटाप खरीदने का प्रावधान ना होते हुए भी लैपटॉप खरीद किये गये है और ना ही विभिन्न PACS में इन लैपटॉप की जरूरत थी । जिससे सरकार को अनावश्यक वितीय हानि हुई है ।

ICDP के नियमो के अनुसार 35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को ICDP में विकास अधिकारी नियुक्त नही किया जा सकता जबकि श्री विजय सिंह निवासी प्राणपुरा रेवाडी को नियमो की अवहेलना करके ICDP में विकास अधिकारी नियुक्त किया । जिसको लाखो रूपये अनुचित रूप से वेतन व भते दिये जाकर सरकार को लाखो रूपये की वितीय हानि पहुंचाई है । विजय सिंह की फर्म सरल कोपरेटिव एल.एण्ड.सी. लिमिटेड रेवाडी को ICDP के खाते से 15 लाख रूपये का अनुदान अनुचित रूप से दिया है ।

ICDP के नियमो के अनुसार जिला स्तर की समन्य समिति (DLCC) का अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त होता है DLCC की मीटींग में SHGs को सहायता देने का निर्णय लिया जाता है । DLCC के अध्यक्ष से मन्जूरी लिये बिना SHGs को लाखो रूपयो का अनुदान नियमो की अवहेलना करके दिया गया है ।

श्री योगेन्द्र अग्रवाल GM, ICDP हॉल डिप्टी चीफ ओडिटर, श्री सुमित अग्रवाल लेखाकार, ICDP हॉल आडिटर कोपरेटिव सोसाईटीज व श्री नगेन्द्र कुमार, डवलपमेन्ट ऑफिसर, ICDP हॉल निरीक्षक कोपरेटिव सोसाईटीज अधिकारीयो ने सहकारिता विभाग से वेतन व भत्ते लिये हुये है और इसी अवधी में (ICDP) रेवाडी के खातो से लाखो रूपये चैक माध्यम से अपने खातों में ट्रांसफर किये हुये है जोकि नियमों के विरूद्व है ।

ICDP रेवाडी में अनुबंध पर नियुक्त श्री नरेन्द्र सिह चपरासी से महाप्रबन्धक ICDP ने मिली भगत करके नरेन्द्र के खाते में चैको के माध्यम से सन् 2019 से 16.06.22 तक 8,22,999 रूपये महाप्रबन्धक द्वारा अनुचित रूप से डाले गये है । श्री नरेन्द्र चपरासी ने अपने परिवार के नाम से मानव उत्थान (MPS) सोसाईटी बनाई हुई है जिसने मानव उत्थांन सोसाईटी के खाते में महाप्रबन्धक से मिली भगत करके 3,60,478 रूपये डलवाये है ।

ICDP रेवाडी के माध्यम से नये गोदाम बनने, पुराने गोदामो की मरम्मत व अन्य कार्य की E-Tendering के माध्यम से किये जाने थे जो ये कार्य ICDP के नियमो के अनुसार E- Tendering के माध्यम से ना करवाकर सरकार द्वारा दिये गये निर्देशो की उलघंना करके अपने चहते ठेकेदारो को टैण्डर दिये गये है और ठेकेदारो के काम शुरू होने से पहले ही पूरा भुगतान उनके खातो में किया गया है ।

दि ततारपुर PACS (Primary Agriculture cooperative Society) लिमिटेड की प्रबन्धक कमेटी के चुनाव न होने की वजह से सहायक रजिस्ट्रार सहाकारिता विभाग रेवाडी ने अपने विभाग के श्री नागेन्द्र कुमार निरीक्षक को Board of Administrator नियुक्त किया हुआ है और यही ICDP का डवलपमेन्ट अधिकारी है । इसकी की निगरानी में PACS का कार्य हुआ है। कनिष्ठ लेखा परीक्षक सहकारी समितियों रेवाडी ने दी ततारपुर PACS लिमिटेड ततारपुर जिला रेवाडी का वर्ष 2021 - 2022 का ओडिट करके अपनी रिपोर्ट लेखा परीक्षक सहाकरी समितिया रेवाडी को पेश की जिसकी रिपोर्ट के अनुसार 40,20,000 रूपये के खर्चो का कोई बिल बोचर व रिकार्ड उपलब्ध नही पाया गया । इसी प्रकार अन्य 24 PACS का ओडिट कराया जाये तो बहुत सी अनियमितताओं का पता लग सकता है ।

सुश्री अनु कौशिश, सहायक रजिस्ट्रार अम्बाला व महाप्रबन्धक ICDP अम्बाला का चार्ज भी दिया हुआ है इसके अतिरिक्त महाप्रबन्धक ICDP रेवाडी का भी चार्ज दिया हुआ है। जब भी ICDP के कार्यो से सम्बंधित भुगतान होता था वह भुगतान चैक के माध्यम से सुश्री अनु कौशिश GM रेवाडी के हस्ताक्षर होते थे । जैसे ही ठेकेदार/फर्म के खाते में ICDP के खाते से रूपये आते थे उसी समय सुश्री अनु कौशिश GM ICDP, रेवाडी के मोबाईल न0 9466310289 , 9306408533 से मैसर्स बैन्टेम इंडिया लिमिटेड के मोबाईल न0 7710788880 पर विभिन्न पेमेन्ट ऑनलाईन एप्स के जरिए रूपये का लेन-देन होता रहा है । उपरोक्त सभी अनुचित तरीके से किये गये कार्य व की गई पैमेन्ट में सुश्री अनु कौशिश GM, ICDP रेवाडी की संलिप्तता रही है ।

ICDP रेवाडी के कर्मचारियों द्वारा लिये गये वेतन के साथ लिये गये डी.ए./टी.ए. में भारी अनियिमतताएं है जबकि ICDP में टी.ए./डी.ए. के भुगतान का कोई प्रावधान नही है जिससे सरकार को लाखो रूपये का वित्तीय नुकसान हुआ ।

ICDP रेवाडी GM द्वारा करोडो रूपये की एफ.डी. नियमो के विरूद्ध की गई है । ICDP द्वारा एफ.डी. करवाने का कोई प्रावधान ना होते हुए भी कुल 21,94,00,000 रूपये की एफ.डी. विभिन्न बैंको में करवाई व ब्याज का लाखो रूपये ICDP रेवाडी कर्मचारियों द्वारा गबन किया गया है जिससे सरकार को लाखो रूपये की वित्तीय हानि पहुंचाई है ।

विभिन्न PACS से करोडो रूपये वापिस ICDP के खातो में केवल दो तिथियों में जमा करवाये गए जो कि नियमो के विरूद्ध है । ICDP के प्रावधान अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एवज में ग्रांट/फंड जारी किये जाते है जो कि राज्य सरकार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर केन्द्र सरकार को भेजती है ।

कोविड-19 मार्च 2020 के पूर्ण बन्द के दौरान भी कर्मचारियों व अन्य मदों में ICDP के खाते से पैमेन्ट की गई है जबकि इस दौरान कोई कार्य नही किया गया था ।

उक्त आरोपो की पडताल से पाया गया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पत्र न0 3-8(25)/2016- ICDP/12/A170002 दिनांक 11.04.2017 अनुसार केन्द्रीय क्षेत्रक कृषक सहकारिता एकीकृत योजना के अन्तगत हरियाणा राज्य के रेवाडी जिले में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतू वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक कुल 4 वर्ष के लिये वित्तीय सहायता की स्वीकृति के सम्बन्ध में पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें PACS (Primary Agriculture cooperative Society) के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए चार साल के लिए 1787.45 लाख रूपये, शेयर पुंजी/मार्जन मनी के सुदृढ़ीकरण के लिए 355 लाख रूपये, बुनियादी ढांचे के निर्माण/मार्जन के लिए अनुदान राशि 8.25 लाख रूपये व जन शक्ति विकास पी.आई.ए के लिए 131.71 लाख रूपये जो कुल 2282.41 लाख रूपये स्वीकृत किये जाने पाये गये जिनका वर्ष अनुसार अलग-अलग कार्या में खर्च करने का विवरण दिया हुआ है । ICDP रेवाड़ी के The Rewari Central Co-Operative Bank खाता संख्या 000435001100025 में दिनांक 13.04.2018 को

578,91,000 रूपये, दिनांक 29.09.2018 को 9,08,14,000 रूपये, दिनांक 16.11.2018 को 73,08,000 रूपये, दिनांक 07.02.2020 को 6,53,12,000 रूपये व दिनांक 11.03.2020 को 2,06,000 रूपये डाले गये । इस प्रकार इस योजना के कुल 22,15,31,000 रूपये हरियाणा सरकार द्वारा भेजे जाने पाये गये है जिनको जिला रेवाडी में बनी हुई कुल 25 PACS में से 23 PACS‘s भगवानपुर, डहीना, ततारपुर इस्तमुरार, खोरी, संगवाडी, बावल, नांगल तेजू, मुसेपुर, माढिया खुर्द, राजियाकी, झारोदा, मोतला कला, जोनावास, काकोडिया, नंगली परसापुर, सुलखा, गुडियानी, कोसली, रेवाडी, मनेठी, मुन्दी, पाल्हावास व साहरनवास में विकास कार्यो के लिए खर्च किया जाना था ।

इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार सहकारिता समितिया हरियाणा, पंचकूला द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान करने के सम्बन्ध में, कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में व कार्य का आवंटन के सम्बन्ध में आदेश ICDP/M,cell/2015/643-55 दिनांक 12.02.2015 में दिये गये जिनके अनुसार GeM Portel के माध्यम से सामान की खरीद की जाने बारे व निर्माण कार्य बारे ई-टैण्डर प्रक्रिया व कुटेशन के आधार पर की जानी चाहिए थी ।

ICDP रेवाडी द्वारा पत्र न0 114 दिनांक 31.07.2022 अनुसार अपनी प्रोजेक्ट कम्पीलेशन रिपोर्ट (PCR) रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, हरियाणा पंचकुला को प्रस्तुत की गई जिसमें स्वीकृत राशि व प्राप्त की गई राशि को भिन्न-भिन्न कार्य जैसे 500 MT Godown, 100 MT Godown, PACS की चार दीवारी, शौचालय, दुकान निर्माण, कम्प्युटर, सी0सी0टी0वी0 कैमरा इत्यादि में खर्च की गई राशि का विवरण दर्शाया हुआ है जो कुल प्राप्त राशि 22,16,31,000 रूपये में से 15,67,19,000 रूपये खर्च किये जाने व 6,49,12,000 रूपये खर्च न होने पर वापिस दिये जाने दर्शाये हुए है ।

सुश्री अनु कौशिश तत्कालीन महाप्रबन्धक ICDP रेवाडी द्वारा अपने कार्याकाल के दौरान जिला रेवाडी के PACS भगवानपुर, डहीना, ततारपुर इस्तमुरार, खोरी, संगवाडी, बावल, नांगल तेजू, मुसेपुर, माढिया खुर्द, राजियाकी, झारोदा, मोतला कला, नाहड, धारूहेडा, जोनावास, काकोडिया, नंगली परसापुर, सुलखा, गुडियानी, कोसली, रेवाडी, मनेठी, मुन्दी, पाल्हावास व साहरनवास में सीधे तौर पर व PACS के माध्यम से निर्माण कार्य के सामान, कम्प्युटर, प्रिन्टर, लैपटॉप, सी0सी0टी0वी0 कैमरा व सौर उर्जा उपकरण इत्यादि की खरीद की गई । रिकार्ड अनुसार काफी फर्मो द्वारा सामान की खरीद व निर्माण कार्य करवाये जाने पाये गये है । स्तालियन जीत पुत्र हरबेल सिंह निवासी शर्मा गार्डन यमुनानगर हरियाणा की कम्पनियो बारे ऑनलाईन रिकार्ड प्राप्त किया गया । तो स्तालियन जीत Banbridge Constructions Pvt. Ltd., Bantam Overseas Pvt. Ltd., Bantam India Limited, Loadlink Systems Pvt. Ltd. Laybay India Limited कम्पनियों का निदेशक होना पाया गया है ।

उपरोक्त कम्पनियों में से केवल 4 कम्पनियों द्वारा ICDP रेवाडी में सामान दिया जाना पाया गया है जिनको ICDP रेवाड़ी व उसके अधीन लगाने वाली जिला रेवाडी की PACS के बैक खातो से M/s Laybay India Limited को 24,81,938/- रूपये Union Bank of India, Sector-35 Chandigarh Account No. 499601010036894 में, Bantam India Limited को 73,83,572 /- रु Union Bank of India Yamuna Nagar Account No. 358601010112368 में, Loadlink Systems Pvt. Ltd. को 10,96,928/- रूपये Kotak Bank Yamuna Nagar Account No. 5212991443 में व Banbridge Constructions Pvt. Ltd. को 25,00,000/-. रूपये Union Bank of India Account No. 358601010112753 में चैको के माध्यम से भुगतान किया गया है ।

उपरोक्त 4 कम्पनियों के द्वारा किये गये कार्यो व खरीदे गये सामान के बिलो की तस्दीक की गई है जो कम्पनी Banbridge Constructions Pvt. Ltd. को ICDP के The Rewari Central Co-Operative Bank खाता संख्या 000435001100025 की विवरणी के अवलोकन से ICDP रेवाडी द्वारा दिनांक 26.07.2022 को 25,00,000 रूपये निर्माण कार्य के लिए दिये जाने पाये गये है, परन्तु रिकार्ड के अवलोकन से इस फर्म का कोई भी बिल उपलब्ध नही करवाया गया । सुमित कुमार अग्रवाल तत्कालीन लेखाकार को शामिल जांच करके कथन अंकित किये गये जिसने अपने कथन में बतलाया कि ICDP रेवाडी के चालू खाता संख्या 000435001100025 से 25,00,000 रूपये का भुगतान Banbridge Constructions Pvt. Ltd. को किया गया था, वह उस समय ICDP रेवाडी का लेखाकार नही था । बैंक खाता में उसका मोबाईल नम्बर दिया हुआ था जिसमें उसे मैसेज द्वारा दिनांक 04.02.2023 को 25,00,000 रूपये वापिस ICDP रेवाडी के चालू खाते में आने बारे सूचना प्राप्त हुई थी । इस बारे उस समय नियुक्त लेखाकार या महाप्रबन्धक ही इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते है, जिसके कथनानुसार ये राशि जांच दर्ज होने के बाद ICDP रेवाडी के चालू खाते में आनी पाई गई है । इस फर्म के रिकार्ड अनुसार कोई कार्य करना नही पाया गया और ना ही कोई

बिल उपलब्ध करवाया गया। पत्र न0 3-8(25)/2016- ICDP दिनांक 18.06.2021 के अनुसार ICDP रेवाडी की वैधता दिनांक 31.03.2022 तक ही बढाई गई थी, जबकि 25 लाख रूपये ICDP रेवाडी की वैधता खत्म होने के बाद दिनांक 26.07.2022 को Banbridge Constructions Pvt. Ltd. कम्पनी के खाते में निर्माण कार्य के लिए डाली गई है । Project Completion Report (PCR) तत्कालीन ICDP के महाप्रबन्धक द्वारा अपने पत्र न0 114 दिनांक 31.07.2022 प्रस्तुत की जानी पाई गई है । ICDP की तत्कालीन महाप्रबन्धक अनु कौशिश द्वारा पत्र क्रमांक 109 दिनांक 19.05.2022 के अनुसार मनीश यादव तत्कालीन लेखाकार ICDP रेवाडी के माबाईल नम्बर 9416597444 को डिलिट करने बारे लिखा हुआ है और 25 लाख रूपये Banbridge Constructions Pvt. Ltd. कम्पनी के खाते में दिनांक 26.07.2022 को डाली गई है । अनु कौशिश तत्कालीन महाप्रबन्धक द्वारा ICDP रेवाड़ी के कार्यो के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये हुये है कि कार्य विज्ञापन देकर ई-टैण्डर के माध्यम से करवाये जाये, परन्तु रिकार्ड अनुसार अनु कौशिश तत्कालीन महाप्रबन्धक द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो की पालना ना करते हुये काम करने से पहले ही फर्म के बैक खाते में 25,00,000 रूपये भेजे गये और इस फर्म के खाते से सुश्री अनु कौशिश के बैक खाता संख्या 00000020007925384 SBI Bank में 5,00,000/-रुपये, नताशा कौशिश के बैक खाता संख्या 017301008184 में 5,00,000/- रूपये, रेखा के बैक खाता संख्या 3874531616 सैन्टल बैक ऑफ इण्डिया में 5,00,000/-रूपये व रेखा के बैक खाता संख्या 06642191031346 पंजाब नेशनल बैक में 5,00,000/- रूपये दिनांक 23.08.2022 को आने पाये गये है । जिससे स्पष्ट होता है कि Banbridge Constructions Pvt. Ltd. के निदेशक स्तालियन जीत पुत्र हरबेल सिंह निवासी शर्मा गार्डन यमुनानगर हरियाणा व सुश्री अनु कौशिश पुत्री सुभाष चन्द निवासी मकान न0 313/16 मोती नगर करनाल तत्कालीन महाप्रबन्धक ICDP रेवाडी ने अपने परिवार के सदस्यो द्वारा आपस में मिली भगत करके योजना बनाकर 25,00,000 रूपये को गबन करने की नियत से उक्त कम्पनी के बैक खाते में डाले गये ।

कम्पनी Bantam India Limited द्वारा PACS भगवानपुर, डहीना, ततारपुर, खोरी, संगवाडी, बावल, नांगल तेजू, मुसेपुर, माढिया खुर्द, राजियाकी, सुलखा, झारोदा, मोतला कला, जोनावास, काकोडिया, नंगली परसापुर, गुडियानी, कोसली, रेवाडी, मनेठी, मुन्दी, पाल्हावास, सहारनवास, बोलनी, नाहड, गुमीना, धारूहेडा में इन्टरनेट मोडम व कम्प्युटर, प्रिन्टर उपलब्ध करवाये गये थे, जिनके बिल प्राप्त किये गये। बिल अनुसार कम्प्युटर की कीमत 52,076 रूपये, प्रिन्टर की कीमत 19,450 रूपये व यू0पी0एस0 की कीमत 6400 रूपये तथा कुल 77,926GST 14,026 रूपये कुल 91,953 रूपये दी गई है। इस फर्म के खाता संख्या 358601010112368 की बैक विवरणी प्राप्त की गई जिसके अवलोकन से पाया गया है कि फर्म को चैको के माध्यम से कुल 46,09,574 रूपये का भुगतान किया जाना पाया गया है ।

Bantam India Limited कम्पनी द्वारा Participation/Traning of farming/PACS Members or Organic Farming details practical under guarantee scheme के अन्तगर्त Program करके PACS मैम्बरो व किसानो को स्कीम के बारे में जानकारी (प्रशिक्षण) दिया जाना था । Participation/Traning of farming/PACS Members or Organic Farming details practical under guarantee scheme के अन्तगर्त Program करके PACS मैम्बरो व किसानो को स्कीम के बारे में जानकारी (प्रशिक्षण) देने के सम्बन्ध में बिल न0 36 दिनांक 20.05.2021 राशि 10,70,850 रूपये, बिल न0 51 दिनांक 20.05.2021 राशि 10,70,850 रूपये, बिल न0 52 दिनांक 21.05.2021 राशि 10,70,850 रूपये कुल 32,12,550 रूपये के बिल दिये हुये है और ICDP के खाता से कुल 32,12,550 रूपये का भुगतान Bantam India Limited को किया हुआ है जो उसकी बैक विवरणी में दर्शाया हुआ है । सुमित अग्रवाल तत्कालीन लेखाकार ICDP रेवाडी ने शामिल जांच होकर अपने कथन में अंकित करवाया कि 3 PACS कोसली, पाल्हावास, गुडियानी में उनके 3-3 सैल प्वाईटो पर आर्गोनिक फारमिग टैनिंग दी जानी थी, जिसके बिल व कुटेशन पेश किये गये । श्री कुलदीप सिंह PACS प्रबन्धक कोसली स्थित भाकली ने अपने कथन में अंकित करवाया है कि कोसली PACS के अन्दर गांव भाकली, कोसली, छववा, नठेडा, भूरथला, जाहिदपुर, टुमना, श्यामनगर, सुरहेली, जुडडी, सुधराना, लिलोड, जहाल, साहदत नगर गांव आते है । इन गांवो में ICDP के द्वारा Participation/Traning of farming/PACS members or Organic Farming details practical under guarantee scheme के अन्तगर्त Program करके PACS मैम्बरो व किसानो को स्कीम के बारे में जानकारी (प्रशिक्षण) नही दी गई। आर्गेनिक फारमिग प्रषिक्षण का कोई पैसा PACS के खाते में नही आया । इसी प्रकार वीरपाल गुडियानी PACS प्रबन्धक ने अपने लिखित ब्यान में अंकित करवाया है कि उसकी PACS के अधीन गुडियानी, अहमदपुर, भूरीयावास, सादीपुर, सुर्खपुर, मुन्दडा, बास, भैहरमपुर, रतनथल, मलेशियावास, जखाला, गुगोड, कान्हडवास

गांव आते है । इन गांवो में ICDP के द्वारा Participation/Traning of farming/PACS Members or Organic Farming details practical under guarantee scheme के अन्तगर्त Program करके PACS मैम्बरो व किसानो को स्कीम के बारे में जानकारी (प्रशिक्षण) नही दी गई और ना ही इसके बारे मे बताया गया और आर्गेनिक फारमिग के प्रशिक्षण के लिए PACS के खाते में 5,00,000 रूपये आये थे और प्रशिक्षण ना देने की वजह से ये पैसे वापिस चले गये उन्होने ये पैसे नही निकलवाये । संजय कुमार PACS प्रबन्धक पाल्हावास ने अपने कथन में अंकित करवाया कि ICDP रेवाडी के अधिकारियों से पूछने पर बतलाया कि आर्गेनिक फारमिग टैनिंग नही करवाई गई जिसकी राशि फर्म ने ICDP रेवाडी के खाते में वापिस डाल दी गई जिसका विवरण ICDP रेवाडी के चालू खाता में है । ICDP रेवाडी के अन्तगर्त आने वाली PACS में से PACS पाल्हावास, कोसली, गुडियानी के 3/3 सेल प्वाईटो पर Participation/Traning of farming/PACS Members or Organic Farming details practical under guarantee scheme के अन्तगर्त Program करके PACS मैम्बरो व किसानो को स्कीम के बारे में जानकारी (प्रशिक्षण) दी जानी थी । जिस बारे भी सुश्री अनु कोशिश द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो अनुसार सरकारी संस्था HIPA व RICM चण्डीगढ़ अधिकृत फर्मो द्वारा करवाई जानी थी । कोसली PACS के प्रबन्धक कुलदीप सिंह, गुडियानी PACS के प्रबन्धक वीरपाल व पाल्हावास PACS के प्रबन्धक संजय के कथनों से पाया गया है कि किसी भी PACS के सैल प्वाईटो पर Participation/Traning of farming/PACS Members or Organic Farming details practical under guarantee scheme के अन्तगर्त Program करके PACS मैम्बरो व किसानो को स्कीम के बारे में जानकारी (प्रशिक्षण) नही दी गई, परन्तु फर्म Bantam India Limited के निदेशक स्तालियन जीत पुत्र हरबेल सिंह निवासी शर्मा गार्डन यमुनानगर हरियाणा, सुश्री अनु कौशिश पुत्री सुभाष चन्द निवासी मकान न0 313/16 मोती नगर करनाल तत्कालीन महाप्रबन्धक ICDP रेवाडी व सुमीत अग्रवाल पुत्र श्री बजरंग लाल निवासी मकान न0 32 फ्रैडस कॉलोनी नजदीक यादव धर्मशला नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ तत्कालीन लेखाकार ICDP रेवाडी ने मिली भगत करके योजना बनाकर झूठे बिल तैयार करके चैक पर सुमित अग्रवाल तत्कालीन लेखाकार व अनु कौशिश तत्कालीन महाप्रबन्धक ने अपने-अपने हस्ताक्षर करके चैक के माध्यम से कुल 32,12,550/-रुपये की सरकारी राशि का गबन किया है ।

Bantam India Limited के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया यमुनानगर के बैक खाता संख्या 358601010112368 में से दिनांक 25.06.2021 को प्रतिवादियां अनु कौशिश के बैक खाता संख्या 00000020007925384 SBI Bank में 1,00,000/- रूपये, दिनांक 21.06.2021 को नताशा कौशिश के बैक खाता संख्या 06642193000021 PNB Bank में 5,00,000/- रूपये, दिनांक 25.08.2022 को नताशा कौशिश के बैक खाता संख्या 06642193000021 PNB Bank में 3,00,000/- रूपये, दिनांक 21.06.2021 को गुन्जन कौशिश के बैक खाता संख्या 055801650971 ICICI Bank में 5,00,000/- रूपये व दिनांक 31.08.2022 को गुन्जन कौशिश के बैक खाता संख्या 055801650971 ICICI Bank में 5,00,000/- रूपये की राशि भेजी गई है ।

कम्पनी Laybay India Limited द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरा व लैपटॉप PACS भगवानपुर, डहीना, ततारपुर, खोरी, संगवाडी, बावल, नांगल तेजू, मुसेपुर, माढिया खुर्द, राजियाकी, सुलखा, झारोदा, मोतला कला, जोनावास, काकोडिया, नंगली फरसापुर, गुडियानी, कोसली, रेवाडी, मनेठी, मुन्दी, पाल्हावास, सहारनवास, बोलनी, नाहड, गुमीना, धारूहेडा में उपलब्ध करवाये गये है जिनके बिल नम्बर दिनांक व राशि तथा चैक नम्बर एक प्रार्फोमा बनाकर दर्शाये गये है । इस फर्म के खाता संख्या 499601010036894 की बैक विवरणी प्राप्त की गई जिसके अवलोकन से पाया गया है कि फर्म को चैको के माध्यम से कुल 24,81,938 रूपये का भुगतान किया जाना पाया गया है और उनका इन्द्राज बैक विवरणी में दर्शाया हुआ है ।

कम्पनी Laybay India Limited के बैक खाता संख्या 499601010036894 की विवरणी से पाया गया कि सुश्री अनु कौशिश के खाता संख्या 00000020007925384 में दिनांक 25.06.2021 को 1,50,000 रूपये तथा गुन्जन कौशिश के बैक खाता संख्या 055801650971 में दिनांक 31.08.2021 को 5,00,000 रूपये आने पाये गये है ।

कम्पनी Loadlink Systems Pvt. Ltd. द्वारा कम्प्युटर व प्रिन्टर PACS भगवानपुर, डहीना, ततारपुर, संगवाडी, बावल, नांगल तेजू, मुसेपुर, माढिया खुर्द, सुलखा, झारोदा, मोतला कला, जोनावास, नंगली फरसापुर, गुडियानी, कोसली, पाल्हावास, सहारनवास में उपलब्ध करवाये गये है जिनके बिल नम्बर दिनांक व राशि तथा चैक नम्बर एक प्रार्फोमा बनाकर दर्शाये गये है । इस फर्म के Kotak Mahindra

यमुनानगर बैक के खाता संख्या 5212991443 की बैक खाता विवरणी प्राप्त की गई जिसके अवलोकन से पाया गया है कि फर्म को चैको के माध्यम से कुल 10,96,928 रूपये का भुगतान किया जाना पाया गया है और उनका इन्द्राज बैक विवरणी में दर्शाया हुआ है ।

कम्पनी Loadlink Systems Pvt. Ltd. की बैक खाता विवरणी से पाया गया है कि Loadlink Systems Pvt. Ltd. के बैक खाता संख्या 5212991443 में से दिनांक 25.08.2022 को सुश्री अनु कौशिश के बैक खाता संख्या 00000020007925384 में 4,80,000 रूपये आने पाये गये है ।

स्तालियन जीत पुत्र हरबेल सिंह निवासी शर्मा गार्डन, यमुनानगर, हरियाणा (निदेशक Bantam India Limited, Banbridge Constructions Pvt. Ltd., Laybay India Limited, Loadlink Systems Pvt. Ltd.) के बैक खाता संख्या 358602010013988 में से दिनांक 27.07.2022 को 4,99,900 रूपये सुश्री अनु कौशिश के बैक खाता संख्या 20007925384 में आने पाये गये है जो बैक खाता की विवरणी में दर्शाये हुये है ।

Bantam India Limited व Loadlink Systems Pvt. Ltd. से अनु कौशिश तत्कालीन महाप्रबन्धक ICDP रेवाडी द्वारा कम्प्युटर, प्रिन्टर, लैपटॉप व इन्टरनेट मॉडम खरीद किये गये है जिस बारे दिये गये दिशा-निर्देशो की पालना नही की गई । कम्प्युटर, प्रिन्टर, लैपटॉप व इन्टरनेट मॉडम की खरीद Gem Portal द्वारा की जानी चाहिए थी परन्तु उपरोक्त खरीद ना तो Gem Portal से की गई और ना ही कम्पनी के अधिकृत डीलर/ Showroom से की गई । अपितु उपरोक्त खरीद आरोपी स्तालियन जीत की कम्पनी Bantam India Limited व Loadlink Systems Pvt. Ltd. से की गई है । लैपटॉप की अनावश्यक खरीद की गई है, सरकारी राशी का दुरूपयोग किया गया है । अनु कौशिश द्वारा स्वयं ही फर्मो के निदेशक को पत्राचार करके कुटेशन मांगवाकर कम्प्युटर, प्रिन्टर, लैपटॉप व इन्टरनेट मॉडम खरीदे गये है । अन्य किसी फर्म की कुटेशन व टैण्डर प्रक्रिया के कोई भी कागजात पेश नही किये । ICDP रेवाडी के अन्तर्गत आने वाली PACS में करोडो रूपयो के अन्य कार्य भी हुये है जिनकी जांच मुकदमा दर्ज होने के पश्चात अनुसंधान के दौरान कर लिये जाने का सुझाव दिया जाता था क्योंकि इस प्रकरण के मुख्य आरोपियों द्वारा भारत छोड कनाडा भाग जाने का गंभीर अंदेशा है ।

इस प्रकार सुश्री अनु कौशिश पुत्री सुभाष चन्द निवासी मकान न0 313/16 मोती नगर जिला करनाल हाल तैनात सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति पानीपत व तत्कालीन महाप्रबन्धक ICDP रेवाड़ी, स्तालियन जीत पुत्र हरबेल सिंह निवासी शर्मा गार्डन जिला यमुनानगर हरियाणा निदेशक कम्पनी Bantam India Limited व Banbridge Constructions Pvt. Ltd., तत्कालीन लेखाकार सुमित अग्रवाल पुत्र श्री बजरंग लाल निवासी मकान न0 32 फ्रैडस कॉलोनी नजदीक यादव धर्मषाला नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ ICDP रेवाडी, नताशा कौशिश निवासी मकान न0 313/16 मोती नगर जिला करनाल, गुन्जन कौशिश निवासी मकान न0 313/16 मोती नगर जिला करनाल, श्रीमति रेखा निवासी मकान न0 313/16 मोती नगर जिला करनाल व अन्य नामालूम व्यक्तियो ने योजना बनाकर आपस में मिली भगत करके Participation/Traning of farming/PACS Members or Organic Farming details practical under guarantee scheme के अन्तगर्त Program करके PACS मैम्बरो व किसानो को स्कीम के बारे में जानकारी (प्रशिक्षण) ना देकर 32,12,550 रूपये के फर्जी बिल तैयार करके तथा Banbridge Constructions Pvt. Ltd. कम्पनी को 25,00,000 रूपये योजना की वैधता समाप्त होने के बाद बिना किसी कार्य को करवाए भुगतान करके सुश्री अनु कौशिश ने अपने पद का दुरूपयोग करके तथा Bantam India Limited, Laybay India Limited, Loadlink Systems Pvt. Ltd., Banbridge Constructions Pvt. Ltd. की फर्मो के बैक खातो से अपने व अपनी बहनों नताशा कौशिश व गुन्जन कौशिश तथा अपनी माता श्रीमति रेखा के बैक खातो में रिशवत के तौर पर 55,29,900 रूपये सीधे तौर पर प्राप्त करके अपराध 409,420,120-बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13(1)b r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध किया है जिनके खिलाफ अभियोग अंकित करने का सुझाव दिया था। अभियोग के अनुसंधान के दौरान ICDP रेवाडी के किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी व किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्ता पाई जाये तो उसे भी अभियोग के अनुसंधान के दौरान शामिल तफतीश करके नियमानुसार कार्यवाही करने का सुझाव दिया था । अभियोग के अनुसंधान के दौरान निर्माण कार्य व खरीदे गये कम्प्युटर, प्रिन्टर, लैपटॉप व इन्टरनेट मॉडम का तकनीकी मूल्यांकन करवाया जाकर इनमें

किये गये गबन बारे भी पता करने का भी सुझाव दिया था । आरोपियो का यह कृत्य Ex-Facie Criminal Nature का है जिसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 4@2@20211VII दिनांक 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशो के तहत 17-। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नही है ।

जांच की पडताल पूर्ण होने उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1657/भ्र0नि0ब्यू0/गुरूग्राम दिनांक 26.04.2023 के अनुसार श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में भेजी गई थी । जिस पर श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 7749/I-2/ACB (H) दिनांक 04.05.2023 के अनुसार सुश्री अनु कौशिश पुत्री सुभाष चन्द निवासी मकान न0 313/16 मोती नगर जिला करनाल हाल तैनात सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति पानीपत व तत्कालीन महाप्रबन्धक ICDP रेवाड़ी, स्तालियन जीत पुत्र हरबेल सिंह निवासी शर्मा गार्डन, जिला यमुनानगर, हरियाणा निदेशक कम्पनी Bantam India Limited o Banbridge Constructions Pvt. Ltd.]तत्कालीन लेखाकार सुमित अग्रवाल पुत्र श्री बजरंग लाल निवासी मकान न0 32 फ्रैडस कॉलोनी नजदीक यादव धर्मशाला नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ ICDP रेवाडी, नताशा कौशिश निवासी मकान न0 313/16 मोती नगर जिला करनाल, गुन्जन कौशिश निवासी मकान न0 313/16 मोती नगर जिला करनाल, श्रीमति रेखा निवासी मकान न0 313/16 मोती नगर जिला करनाल, ICDP रेवाडी के अन्य कर्मचारी/अधिकारी व अन्य नामालूम व्यक्तियो के खिलाफ अभियोग दर्ज करने के आदेश दिये गये है । इसलिए तहरीर का प्रारूप (Draft) तैयार करके निरीक्षक जयचन्द द्वारा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1903/भ्र0नि0ब्यू0/गुरूग्राम दिनांक 11.05.2023 के अनुसार महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय में अनुमोदन हेतु भेजी गई थी । महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 8249/आई0-2/भ्र0नि0ब्यू0 दिनांक 12.05.2023 के अनुसार तहरीर अनुमोदित होने उपरान्त इस कार्यालय में प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम द्वारा मुझे अभियोग अकिंत करने के लिये तहरीर मार्क की है । आज मै हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम हूँ कि उपरोक्त आरोपियान के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अकिंत करने के लिये लेख तैयार करके EHC कुलदीप सिह न0 2355/GGM के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम भेजा जा रहा है । अभियोग अकिंत करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे व स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार विशेष वाहक के द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे । SD (निरीक्षक जयचन्द) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र, रेवाडी । दिनांक 13.05.2023 AT- 3.30 AM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब रेवाडी बदस्त EHC कुलदीप सिह न0 2355/GGM के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर एवम अभियोग से सम्बन्धित दस्तावेज बराये आगामी तपतीश के लिए ASI अनुप न0 5/32 के माध्यम से महिला नि0 मीनाक्षी के पास भेजी जा रही है । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** MINAKSHI **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 123RWR **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): CHANDER MOHAN

Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendant of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.